भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1921
3 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ
सहकार से समृद्धि की उपलब्धियां

1921. श्री नरेश बंसल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "सहकार से समृद्धि" की उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई सहकारिता नीति से उसे क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या उत्तराखंड सहित राज्य सहकारी समितियों में कोई परिवर्तन और सुधार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सहकारिता क्षेत्र को पुन:सक्रिय करने, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक सहकारिताओं के निर्माण और उत्तराखंड राज्य सहित देश भर में इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के तहत अन्य बातों के साथ-साथ अनेक पहले की जा रही हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 1 जून, 2022 को निर्णय लेते हुए सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई-प्लैटफॉर्म पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जो उन्हें देशभर में GeM पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने में सक्षम करेगा । इससे सहकारी समितियों को अपने प्रापण प्रणाली में बचत करने और पारदर्शिता में सुधार करने में मदद मिलेगा ।
2. दिनांक 29 जून, 2022 को 2,516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से त्रिस्तरी ग्रामीण ऋण अवसंचना के सबसे निचले पायदान पर मौजूद 63,000 कार्यशील पैक्स के डिजिटलीकरण के लिए "प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण" नामक एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना का शुभारंभ किया ।
3. PACS के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें ग्रामीण स्तर पर एक जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाने हेतु राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से PACS के प्रारूप मॉडल उपनियम बनाए जा रहे हैं ।
4. सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को यह स्पष्ट करते हुए राहत प्रदान की है कि उन्हें उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य सलाह मूल्य (SAP) तक, जैसा भी मामला हो, किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा ।
5. सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय वृद्धि के लिए 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।

6. सहकारी समितियों को कंपनियों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।
7. सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति देने हेतु सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिनांक 3 फरवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य उधारकर्ता संस्थान अधिसूचित किया गया है ।
8. दिनांक 08 जून, 2022 को भारत सरकार ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सहकारी समितियों के विकास के लिए नई प्रेरणा देने हेतु निर्णय लिया, अर्थात:
   क. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs- राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों) के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी बढ़ा दी गई ।
   ख. ग्रामीण सहकारी बैंको को वाणिज्यिक रीयल एस्टेट रिहाईशी आवासन क्षेत्र को उधार देने की अनुमति दी गई ।
   ग. शहरी विकास बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर अपने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई ।
9. सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मंत्रालय “सहकार से समृद्धि” योजना बनाने के लिए भी पहल कर रहा है ।
10. देश भर में सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक और पेशेवर बनाने की भी एक योजना बनाई जा रही है ।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय वर्तमान में सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति बनाने पर कार्य कर रहा है । सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिवों/रजिस्ट्रार सहकारी समिति के साथ नई सहकारी नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिक अवसंरचना; विनियामक, नीति व प्रचालन अवरोधों की पहचान; सुगम व्यापार; शासन सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार; नए और सामाजिक सहकारिताओं का संवर्धन; निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करना; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाना; सहकारी समितियों के बीच सहयोग एवं सहकारी समितियों के सदस्यों में बढ़ोत्तरी करना जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । इसके अलावा, प्रारूप नीति पर आम-जनता सहित हितधारकों से मंत्रालय की वेबासाइट के माध्यम से सुझाव मांगे गए ।

भारत सरकार की सभी योजनाएं/परियोजनाएं उत्तराखंड सहित सभी राज्यों की सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करने की ओर अभिमुख है । दिनांक 6 जुलाई, 2021 को इस मंत्रालय के गठन के पश्चात् अवसंरचना, सहकारी सामूहिक खेती, बाज़ार विस्तार और रोज़गार के अवसरों के सृजन सहित समग्र एकीकृत विकास को लक्षित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहायता प्राप्त ‘राज्य समेकित विकास परियोजना’ के कार्यान्वयन के लिए NCDC द्वारा 73 करोड़ रुपए बतौर ऋण जारी किया गया है ।

*****